

लापरवाही

नवागत निगमायुक्त ने अपनाया सख्त रूख

ठेकेदार पर टोंका 1 लाख का जुर्माना, इंजीनियर-सब इंजीनियर को नोटिस जारी

अमृत जल योजना को लेकर कड़ा लापरवाही बिल्कुल नहीं होगी बरकरार गौरीघाट क्षेत्र में शासकीय कामों में ठेकेदार की सामने आई लापरवाही



र 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और साथ ही इस परियोजना से जुड़े सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये कार्यवाही निगमायुक्त ने गौरीघाट में चल रहे कार्य के निरीक्षण के दौरान की है। जानकारी के अनुसार गौरीघाट क्षेत्र में अमृत जल योजना के कामों की जिम्मेदारी लेने वाली इंगल कंपनी के ठेकेदार

में चल रही विकास परियोजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से हो रहे इन कामों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सबसे जरूरी है। अमृत जल योजना में काम की गति और गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

इन्का कहना है

... रि स्टोरेज के कार्य को सही तरीके से नहीं करने और गत मई जून माह में गौरीघाट क्षेत्र में मलबा नहीं हटाने की लापरवाही के कारण अमृत जल योजना के कामों की जिम्मेदारी वाली इंगल कंपनी के ठेकेदार पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

रामप्रकाश अहिरवार, कमिश्नर, नगर निगम

अपेक्स अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

नवभारत, जबलपुर। मेडिकल के पास स्थित अपेक्स अस्पताल में शनिवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों व अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान परिजनों का आरोप था कि अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है। जबकि दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन के डॉ संजय यादव का कहना था कि डिंडोरी जिले के शहपुरा निवासी राजदीप सोनी की पत्नी का थाइराइड का ऑपरेशन हुआ था जिस के बाद उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया और फिर उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शहपुरा निवासी राजदीप सोनी की पत्नी को थाइराइड की बीमारी थी जिसको लेकर डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। इसके बाद परिजनों द्वारा महिला मरीज को अपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।



स्टेप्स के साथ मेकअप का भी रखा जा रहा ध्यान

नवभारत रिदम गर्वा महोत्सव 2.0



जबलपुर, नवभारत। शनिवार से शुरू हुए नवभारत रिदम गर्वा महोत्सव 2.0 के प्रैक्टिस सेशन प्रतिभागियों का भारी उत्साह देखने को मिला। यहां मौजूद हर कोई गर्बे के रंग में रंगा नजर आया। गर्वा ग्रुप के संचालक विकास पांडे ने बताया कि नवभारत के तत्वाधान में एम जी मैरिज पैलेस दमोहनाका में आयोजित हो रहे रिदम गर्वा महोत्सव 2.0 के पहले दिन शनिवार को पहले बैच के प्रतिभागियों के साथ प्रैक्टिस सेशन का शुभारंभ हुआ। प्रतिभागियों का कहना है कि

शनिवार को उनका मुख्य रिहर्सल का इंतजार भी खत्म हो गया। पहले ही दिन प्रतिभागी आउटफिट्स और अन्य मैचिंग एप्सेरीज पहनकर प्रैक्टिस करने पहुंचे थे इसके साथ ही अन्य प्रतिभागियों ने भी खरीदारी स्टार्ट कर दी है। नवभारत प्रेजेंट्स रिदम गर्वा महोत्सव 2.0 के प्रैक्टिस में हर दिन प्रतिभागियों ने निखार आ रहा है।

मेकअप का रहेगा जलवा

रिदम गर्वा महोत्सव में शामिल हुई प्रतिभागी तनु राजपूत ने बताया कि इस बार वॉटर प्रूफ मेकअप के साथ गर्वा करने की तैयारी की जा रही है। यह मेकअप लंबे समय तक साथ देगा। अन्य महिला प्रतिभागियों ने बताया कि तीन से चार घंटे चलने वाले गर्बे को ध्यान में रखते हुए आजकल की महिलाएं ऐसा मेकअप चाहती हैं, जो ज्यादा देर तक चले। एक प्रतिभागी ने बताया कि गर्वा में वॉटरप्रूफ मेकअप ज्यादा चलता है।

वर्ष 2022 से जबलपुर में पदस्थ सभी पुलिस अधीक्षक की जानकारी करें पेश

जबलपुर। थाने के अंदर पुलिस कमियों के द्वारा मारपीट किये जाने के आरोप के साक्ष्य के लिए सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी। राज्य सूचना आयोग ने पूर्व में पारित आदेश का परिपालन नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया है। राज्य सूचना आयोग ने राज्य सूचना अधिनियम की धारा 19 7 के अंतर्गत के लिए धारा 19 8 ग के अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ धारा 20 के तहत

कार्यवाही की जा सके। आदर्श नगर निवासी अजीत सिंह आनंद ने पत्र के माध्यम से जनवरी 2023 में राज्य सूचना आयोग को शिकायत की थी। जिसमें कहा गया था कि राज्य सूचना आयोग द्वारा 20 जुलाई 2022 को पारित आदेश का पालन प्रथम अपीलवीथ अधिकारी नहीं कर रहे हैं। राज्य सूचना आयोग ने प्रथम सूचना अधिकारी को निर्देशित किया था कि अपीलकर्ता की शिकायत पर विधिवत सुनवाई करते हुए स्पीकिंग आदेश पारित करें। सहायक लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता को अवगत कराया गया था।

हाईकोर्ट में 10 विशेष पीठों ने प्रारंभ की मामलों की सुनवाई

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में शनिवार को 10 विशेष पीठों के माध्यम से लंबित आपराधिक प्रकरणों का बोझ कम करने की दिशा में ठोस प्रयास का शुभारंभ किया गया। इस प्रक्रिया में तीन हजार से अधिक लंबित जमानत अर्जियों सहित अन्य प्रकरणों को निराकरण करने पर जोर है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन व सचिव परितोष त्रिवेदी ने बताया कि शनिवार को सुबह से शाम तक आपराधिक मामलों की सुनवाई का दौर चला। इस दौरान संबंधित प्रकरणों के वकील मौजूद

रहे। पक्षकारों में इस बात की खुशी देखने को मिली कि उनके लंबित मामले अब निराकृत कर दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इसके लिये हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय यादव द्वारा दस विशेष पीठों का गठन किया गया है। जिनमें जस्टिस अचल कुमार पालीवाल, जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल, जस्टिस देवनायण मिश्रा, जस्टिस दीपक खोत, जस्टिस अजय कुमार निरंकारी, जस्टिस हिमांशु जोशी, जस्टिस रामकुमार चौबे, जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन, जस्टिस बीपी शर्मा और जस्टिस प्रदीप

मित्तल शामिल थे। एक वर्ष में 50 हजार केस निपटाने का लक्ष्य - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चार लाख 82 हजार 627 केस लंबित हैं। इसमें 2,86,172 मामले सिविल और 1,96,455 क्रिमिनल के हैं। कुल क्रिमिनल मामलों में शून्य से 10 साल पुराने 1,34,524 केस, 11 से 25 साल पुराने 59,424 केस और 25 साल से भी ज्यादा पुराने केसों की संख्या 2,507 हैं। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में करीब तीन हजार मामले अकेले जमानत अर्जियों से जुड़े हैं।

आठ लाख का सोना लेकर बदमाश बायपास में व्यापारी को फेंककर भागे, पुलिस बोली मामला सदिग्ध

जबलपुर। कोतवाली थाना अंतर्गत सराफा बाजार में सोने चांदी के दुकान संचालित करने वी सराफा कारोबारी को बरेला में बंधक बना लिया गया इसके बाद बदमाशों ने उसके पिता डरा धमकाते हुए दस लाख नगद और गोल्ड की फिरौती मांगी। दुकान खुलवाइ और आठ लाख रुपए का 76 ग्राम सोना ले गए। इसके बाद दुकान की बायपास के पास छोड़कर भाग गए। इस मामले में पीड़ित परिवार ने जहां अपहरण, फिरौती, गोल्ड लूटने जैसे गंभीर

बेटे को बंधक बना पिता से दस लाख और गोल्ड की फिरौती मांगी

आरोप लगाये हैं तो वहीं पुलिस मामले को सदिग्ध बता रही है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल चल रही है। सीसीटीव्ही कैमरे खंगाले जा रहे हैं। शनिवार की देर रात तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई थी। राजा राम सोनी निवासी दीक्षितपुरा ने बताया कि उसके बेटा अंकित सोनी 32 वर्षीय की सराफा बाजार में सोने चांदी की दुकान है। 18 सितम्बर की शाम चार से पांच के बीच बेटा दुकान में बैठा था तभी एक लड़का बरेला से पहुंचा जिसने कुछ जेवर बेचने के लिए दिखाये। संदेह होने पर जेवर खरीदने से मना कर दिया तो कहने

लगा कि मां से बातचीत कर लो। कहते हुए साथ में ले गया। बेटा बाइक में था और ग्राहक बनकर पहुंचा युवक मोपेड में था। फुहारे में जब पहुंचे वहां से युवती को भी बैठाया। गोराबाजार के पास युवती को उतार दिया था। इसके बाद बरेला रोड गौरी स्थित शराब की दुकान से युवक ने बीयर की बॉटल ली। इसके बाद ब्रिज के पास रूक कर और कहने लगा कि उसके भाई भी आ रहे हैं उनकी गाड़ी पंचर हो गई। थोड़ी देर में दो लड़के और आ गए जिसके बाद तीनों उसके बेटे को बरेला नहर ले गए बेटे को शक हुआ तो उसने आगे जाने के लिए मना कर दिया इसके बाद युवक ने

अंकित पर कट्टा अड़क बोला कि चुपचाप चलो वरना गोली मार देंगे। नहर के पास बुरी तरह से बदमाशों ने उसे फेंककर फरार हो गए। परिवार का आरोप है कि मामले की शिकायत करने थाने पहुंचे जहां उनकी सुनवाई नहीं हुई अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी द्विवेदी ने बताया कि मामला सदिग्ध लग रहा है जांच चल रही है जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे आगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सीसीटीव्ही फुटेज खंगालने से लेकर अन्य बिन्दुओं पर जांच पड़ताल चल रही है।

खंडेलवाल फर्नीचर के माप में पाया गया अंतर

नवभारत, जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश एवं अपर आयुक्त अंजू सिंह के आदेश पर राजस्व विभाग के जांच दल द्वारा संभागा क्रमांक 16 के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड के मुख्य मार्ग की संपत्तियों की जांच की गई। जिसमें रवी चौकी स्थित खंडेलवाल फर्नीचर, सम्पत्ति भवन स्वामी राजकुमार अशोक कुमार पिता मदनलाल खंडेलवाल के नाम से दर्ज है, जिसका दल द्वारा मौके पर माप किया गया। माप में निर्मित क्षेत्रफल में अंतर पाया गया, भवन स्वामी द्वारा प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए तीन दिवस का समय चाहा गया है, प्रपत्र प्रस्तुत होते ही अंतर राशि का डिमांड नोट प्रेषित किया जावेगा। दस्तावेज प्रेषित न किये जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अपर आयुक्त राजस्व अंजू सिंह बताया कि अन्य वार्डों में भी जांच उपरान्त क्षेत्रफल/उपयोग परिवर्तन दर्ज कर करारोपण की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

प्रिंसिपल सर्टिफिकेट न मिलने पर तीन बीज विक्रेताओं को नोटिस

शहपुरा के आदान विक्रय केंद्रों पर पहुंचे कृषि अधिकारी

नवभारत, जबलपुर। जिले में मटर की बोवनी की चल रही तैयारियों के मद्देनजर किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज एवं अन्य आदान सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने कृषि विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को शहपुरा विकासखंड के ग्राम सहजपुर में कृषि आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों के यहां दस्तक दी। जिसमें तीन विक्रेताओं के यहां प्रिंसिपल सर्टिफिकेट, बिल बुक और स्टॉक रजिस्टर का संधारण न होने पर उन्हें नोटिस जारी किया है। (जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें आशीष एगो, राज एगो सीड्स, संस्कार कृषि केंद्र को बिना प्रिंसिपल

सर्टिफिकेट जुड़ाये बीज का व्यापार करने पर तथा बिल बुक और स्टॉक रजिस्टर का संधारण ना करने पर नोटिस जारी कर तीन दिवस में इन कमियों को पूरा कर जवाब प्रस्तुत करने निर्देश दिये गये। समय सीमा में जवाब नहीं दिये जाने पर नियम अनुसार कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। साथ ही अनुविभागीय कृषि अधिकारी शहपुरा एस के परतेती के नेतृत्व में किये गये निरीक्षण के दौरान देखा गया कि विक्रेताओं द्वारा लाइसेंस के अनुसार बीज एवं अन्य कृषि आदान सामग्रियों का भंडारण और विक्रय किया जा रहा है अथवा नहीं तथा किसानों को बिल दिए जा रहे हैं या नहीं। निरीक्षण में चरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी शहपुरा एस के परतेती एवं उर्वरक निरीक्षक पंकज श्रीवास्तव, कृषि विस्तार अधिकारी गौतम यादव एवं मुस्कान गायकवाड शामिल थे।

विभिन्न गंतव्यों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें

जबलपुर। रेलवे द्वारा दशहरा, दिवाली और छठ पूजा त्यौहारों पर यात्रियों की सुविधा हेतु एवं उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए स्पेशल फेयर पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। यह स्पेशल ट्रेनें पश्चिम मध्य रेलवे के स्टेशनों से होकर गुजरेगी। ये ट्रेनें चलेगी।

सितंबर से 07 अक्टूबर तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09034 बरौनी - उधना स्पेशल प्रत्येक गुरुवार और सोमवार को बरौनी से 06:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 19:00 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन 22 सितंबर से 09 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में नंदुरवार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, *मानिकपुर, प्रयागराज डिविजन, पं. दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर और शाहपुर पटोरी स्टेशनों पर रुकेगी।

पूर्व महापौर के सम्मान में साहू समाज ने खोला मोर्चा

नारेबाजी, प्रदर्शन, रैली, पुलिस कर्मी को बर्खास्त करने की मांग

जबलपुर। बट्टेबाग में विगत दिवस पुलिस कर्मी कृष्णपाल सिंह द्वारा भाजपा नेता, पूर्व महापौर एवं साहू समाज के नेता प्रभात साहू से अभद्रभाषा एवं धक्का मुक्की एवं सिर पर बाकी टाकी से प्रहार से आक्रोशित साहू समाज द्वारा मालवीय चौक पर पूर्व महापौर के सम्मान में साहू समाज मेदान में उतरा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद मालवीय चौक से नारे लगाते हुए एण्टाघर चौक तक रैली के रूप में पहुंचे घंटाघर चौक में



पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन एडीशनल एसपी श्री सुर्यकांत शर्मा जी को जिला साहू समाज के सचिव वीरेंद्र साहू द्वारा ज्ञापन का वाचन कर उन्हें सौंपा गया, ज्ञापन में आरोपी पुलिस कर्मी को बर्खास्त करने की मांग की गई। रैली में जिला अध्यक्ष उदयभान साहू, सचिव वीरेंद्र साहू उपाध्यक्ष डी. के. साहू, नगर अध्यक्ष राधेश्याम साहू, राज

साहू सुधीर साहू, रमेश साहू, रवि साहू, जनपद उपाध्यक्ष रामेश साहू, पाषंद राहुल साहू, पाषंद संजय साहू, पूर्व पाषंद सुबोध साहू, महिला मंडल जिला अध्यक्ष श्रद्धा साहू, डॉ. निशा साहू, सुनीता साहू, सीमा साहू सीता साहू, रानी साहू, पूर्व पाषंद सहारानी साहू, सारिता साहू, शिल्पा साहू आदि साहू समाज के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बैठक

कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार ने विभागीय प्रमुखों के साथ ली समीक्षा बैठक

नवरात्र पर्व तक नहीं दिया जाएगा अवकाश, बिना बताए गायब रहने पर होगी कार्यवाही



नवभारत, जबलपुर। शनिवार अवकाश के दिन भी निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने सभी विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने कॉलोनी सेल, भवन शाखा, अतिक्रमण, स्वास्थ्य, लोककर्म, सीवर, जल, विधि, एवं अन्य

विभागों के कार्यों की जानकारी ली और साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों को अपने कार्यों में सुधार लाने व गंभीरता के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिये। इस दौरान निगमायुक्त श्री अहिरवार ने दो टूक शब्दों में कहा कि नवरात्रि पर्व तक कोई भी छुट्टी किसी को

नहीं दी जायेगी और यदि बिना छुट्टी लिये अथवा बिना बताए कार्यालय से अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की जायेगी। निगमायुक्त ने यह भी हिदायत देते हुए कहा कि सभी विभागीय प्रमुख अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखें।

अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर सुनिश्चित करें कार्यवाही बैठक में निगमायुक्त ने कॉलोनी सेल प्रभारी को निर्देशित किया कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर्स पर एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दास्त नहीं की

जायेगी। निगमायुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि जिस कॉलोनी की वैधता दी गई है यदि वैधता अवधि के दौरान उनके द्वारा

कॉलोनीयों में विकास के कार्य नहीं कराये गए हैं उनकी अनुमतिव्यां निरस्त करें और उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

नगर निगम की आय को बढ़ाने पर दिया जोर

निगमायुक्त ने नगर निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी आय को स्रोतों को बढ़ाने विशेष जोर दिया और सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देशित किया कि सभी लोग राजस्व विभाग के अमले को सहयोग प्रदान करें ताकि आय में वृद्धि हो सके। साथ ही शहर के सभी प्रमुख मार्गों और बाजार क्षेत्रों में अतिक्रमणों को हटाने मुहिम चलाने के निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने लोककर्म, सीवर और रि-स्टोरेज के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जायेगा। शहर की सड़कें चकाचक दिखनी चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को कार्यों में सुधार लाते हुए फील्ड में काम करने के निर्देश दिये। बैठक में समस्त अपर आयुक्त, अधीक्षक यंत्री, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी एवं विभागीय प्रमुख आदि उपस्थित रहे।

NAVRA TRI Rhythm 2.0

Localnewsapp द्वारा प्रस्तुत

AS NEWS आज भारत

NAVRA TRI Rhythm 2.0

नवभारत

सिंगल पास RS. 249
द्विपक्षीय पास RS. 449
ग्रुप पास (6-10) RS. 1200

7 DAYS OF PRACTICE ABSOLUTELY FREE WITH THE PASS

दिनांक - 27-28 सितंबर 2025 || समय - शाम 7:30 से रात्रि 11:30

स्थान - एम.जी.जी मैरिज पैलेस दमोहनाका, जबलपुर

पास के साथ-साथ 7 दिन की प्रैक्टिस बिल्कुल लि: शुल्क

प्रैक्टिस का स्थान - एम.जी.जी मैरिज पैलेस दमोह नाका, जबलपुर

95 सितंबर के बाद जो पास को कीजिये र.100 रुहू जमावी